नियम–301/आज ही/महत्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या– /आठ–10–2024

प्रेषक,

प्रभाष कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
(कुशीनगर एवं चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को छोड़कर)

(मथुरा–वृन्दावन, गोरखपुर, अयोध्या, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, बस्ती, मिर्जापुर–विंध्याचल, उरई, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद, उन्नाव–शुक्लागंज, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को छोड़कर)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक अप्रैल, 2024

विषयः–नियम–301 के अन्तर्गत सरकारी विभागों में तैनात दिव्यांगजनों की पदोन्नति विषयक सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासन के ई–पत्र संख्या–I/534433/2024 दिनांक 04.04.2024 एवं पत्र संख्या–221/आठ–10–2024 दिनांक 09.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपने प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में तैनात अकेन्द्रीयित सेवा के दिव्यांगजनों के पदोन्नति के संबंध में वॉछित सुस्पष्ट सूचना/आख्या आंवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 को उपलब्ध कराते हुए 01 प्रति आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

2. इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वांछित सूचना आज ही शासन को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना समय से प्राप्त न होने पर किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सूच्य है कि प्रकरण विधान सभा के नियम–301 से आच्छादित है, अतएव प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

Digitally Signed by प्रभाष कुमार
(प्रभाष कुमार)
Date: 15.04.2024 18:44:16
उप सचिव।
Reason: Approved